




दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway



मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004
HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004
सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/पॉलिसी/06/09 दिनांक: 03.04.2023

प्रति,
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.-76/2023

विषय:- Revision of Honorarium of Ayurvedic/Homeopathic (ISM) Consultants engaged under Staff Benefit Fund (SBF).

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. E(W)2022/ISM-5 दिनांक: 16.02.2023, RBE No.18/2023 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है। बोर्ड के संदर्भित पत्र को निम्नानुसार स्थापना नियम के तहत प्रकाशित किया गया था:-

क्र.	रेल्वे बोर्ड का पत्रांक एवं दिनांक, RBE No.	स्थापना नियम संख्या
1.	E(W)2016/ISM/9 dt.07.07.2017, RBE No.65/2017	112/2017

उपरोक्त नियम दफ्तरे की अधिकारिक वेब-साइट <http://www.secr.indianrailways.gov.in> एवं PCPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-

Web-site-

Home page—Dept./Div of SECR—HQ—Personnel—Rules & Publications

Share Folder-

Personnel—PCPO—Ruling—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त.

(संग्राम सोरेन)
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (एच.आर.डी)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)



No. E(W)2022/ISM-5

New Delhi, dated:16-02-2023

The General Managers(P),
All Indian Railways & Production Units.

Sub: Revision of Honorarium of Ayurvedic/Homeopathic (ISM) Consultants engaged under Staff Benefit Fund (SBF).

Ref: Board's letter No. E(W)2016/ISM/9 dated 07.07.2017.


The issue of enhancement in the amount of Honorarium admissible to the Ayurvedic/Homeopathic (ISM) Consultants engaged by SBF Committees on contract basis in the Ayurvedic/Homeopathic Dispensaries being run under the aegis of SBF was under examination in Board.

2. It has been decided with the approval of Competent Authority to revise the monthly Honorarium as an interim measure for Ayurvedic/Homeopathic (ISM) Consultants as follows:-

Ayurvedic/Homeopathic Consultants:	<u>8 hours duration</u>	<u>4 hrs duration</u>
	Rs. 75,000/-	Rs. 37,500/-

3. The aforesaid revision will take effect prospectively i.e. from the date of issue of these orders and past cases will not be re-opened.

4. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.


(Chhote Lal)
Jt. Director Estt. (Welfare)
Railway Board.
Phone No. :23047155
Email ID: saurabh.lal65@gov.in

No. E(W)2022/ISM-5

New Delhi, dated:16-02-2023

Copy to:-

The Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhavan,
New Delhi.


For Member (Finance), Railway Board

आरबीई सं. 18/2023

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(डब्ल्यू)/2022/आईएसएम-5

नई दिल्ली, दिनांक:16-02-2023

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलों एवं उत्पादन इकाइयां,

विषय: कर्मचारी हितलाभ निधि (एसबीएफ) के तहत नियुक्त आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक (आईएसएम) परामर्शदाताओं के मानदेय में संशोधन।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 07.07.2017 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)2016/आईएसएम/9

कर्मचारी हितलाभ निधि के तत्वावधान में चलाई जा रही आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक डिस्पेंसरियों में अनुबंध (Contract) के आधार पर कर्मचारी हितलाभ निधि समितियों द्वारा नियुक्त आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक (आईएसएम) परामर्शदाताओं को स्वीकार्य मानदेय की राशि में वृद्धि का मुद्दा बोर्ड में जांचाधीन था।

2. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्णय लिया गया है कि आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक (आईएसएम) परामर्शदाताओं के लिए अंतरिम उपाय के रूप में मासिक मानदेय को निम्नानुसार संशोधित किया जाए:-

आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक परामर्शदाता:	<u>8 घंटे की अवधि</u>	<u>4 घंटे की अवधि</u>
	75,000/-रुपए	37,500/-रुपए

3. उपरोक्त संशोधन भावी प्रभाव से अर्थात् इन आदेशों के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा और पूर्व मामलों को फिर से नहीं खोला जाएगा।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।



(छोटे लाल)

संयुक्त निदेशक स्थापना (कल्याण)

रेलवे बोर्ड

फोन नं.: 23047155

ई-मेल आईडी- saurabh.lal65@gov.in

सं. ई(डब्ल्यू)/2022/आईएसएम-5

नई दिल्ली, दिनांक:16-02-2023

प्रतिलिपि प्रेषित:

भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलवे), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सदस्य (वित्त)/रेलवे बोर्ड

..2-